

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 16 मार्च 1981

पृष्ठ संख्या

औचित्य प्रश्न - वित्त मंत्री की अनुपस्थिति सम्बंधी	(6) 1
वर्ष 1981-82 का बजट पेश करना	(6) 3

Dr. Mangal Sein: It has never been presented by the Chief Minister. (Interruptions).

Ch. Ram Lal Wadhwa: It is unprecedented that the Finance Minister is not present at the time of presenting the Budget. (Noise)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हाउस ऐडजर्न कर दीजिए। (गोर)

Mr. Speaker: Please sit down. (Noise) As far as the Government business is concerned, any Minister of the Government can conduct the same and specifically I would say that if the Finance Minister happens to be indisposed or is otherwise unable to come due to unavoidable circumstances, any other Minister can conduct the business on his behalf.

Dr. Mangal Sein: He is quite hale and hearty, Sir. (Interruptions).

Ch. Ram Lal Wadhwa: Have you been informed about his indispoistion, Sir. (Interruptions).

Mr. Speaker: I am not informed but there can be situations in which a person may not be able to come. (Interruptions).

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, हाउस को एडजर्न कर दो। (गोर)

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट के लिए किसी को कहीं जाना भी पड सकता है (गोर)

चौधरी गंगा राम: हाउस आज ऐडजर्न हो जाना चाहिए। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को इतना मालूम होना चाहिए कि कोई भी मिनिस्टर सरकारी बिल या बजट हाउस में पे ा कर सकता है। (विघ्न एवं भाोर)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, on a point of order. I want to draw you attention to Rule 188 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly which is regarding the presentation of Budget. This rule reads as under :

“The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as “The Budget” shall be presneted to the Assembly on such day as the Governor may appoint.”

स्पीकर साहब, बजट प्रेजेंट करने के लिए आज का दिन अप्वायंटिड था और आज के एजेन्डे में भी लिखा हुआ है कि फाईनैस मिनिस्टर साहब बजट पे ा करेंगे।

इस समय वित्त मंत्री (चौधरी खुर र्द अहमद) सदन में आ गए।

सत्ताधारी दल की ओर से आवाजें: स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी आ गए हैं।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पर भी अगर फाईनैस मिनिस्टर साहब हाउस में हाजिर नहीं होते तो he is unfit to be a Finance Minister. (Noise)

Ch. Ram Lal Wadhwa: It is a contempt of the House, Sir. (Noise)

Mr. Speaker: I had referred that the Finance Minister will present the Budget. Now, the definition of the Finance Minister, according to rules, runs as follows :-

“Finance Minister” means the Minister to whom the business of Finance has been allotted by the Governor and includes any Minister.

However, I have noted the feelings of my hon. friends and I would request the Finance Minister to be in time in future, otherwise he might miss the boat on some other occasion.

Finance Minister (Ch. Khursid Ahmad): Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I am a bit late. (Noise)

Dr. Mangal Sein: He is late by five minutes. Sir, (Noise)

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. For the presentation of the Budget, a specific time is fixed and you would be pleased to note that it was 2.00 p.m. Atleast the Finance Minister should have that much of grace as to express his regrets to the House and to you, Sir, for not presenting the Budget at the appointed hour.

Ch. Khurshid Ahmed: I have already expressed my regrets.

Mr. Speaker: I am convinced that there was not malafide intention on the part of the Finance Minister and I also realise that the human body being what it is, 5 minutes late on the part of this side or that side do not matter much. Certain requirements of the human body can be such that they cannot wait for either the Finance Minister or anybody else.

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, ये बजट की इम्पोर्टेंस नहीं समझते। (गोर) इनको समय से आना चाहिए था।
(विघ्न)

Shri Baldev Tayal: On a point of order, Sir. I want to submit that the Finance Minister should express regrets for coming late.

Mr. Speaker: Tayal Sahib. Please sit down. He has already expressed his regrets for it. You probably missed to hear it.

Shri Baldev Tayal: Sir, I have not heard it.

Mr. Speaker: I have heard that.

Shri Baldev Tayal: That is all right, Sir.

वर्ष 1981-82 का बजट पे आ करना

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमाय सदन के सामने वर्ष 1981-82 के बजट अनुमान पे आ करने के लिए खड़ा हुआ हू। ये अनेक प्रकार के मुख्य भीर्ष, लघु भीर्ष, उप भीर्ष और विनियोजनों की मूल इकाइयों में विभाजित, बेअंत आकड़ों का यह रूखा सूखा दिखने वाला दस्तावेज वास्तव में अपने अंदर सरकार के कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों की गाथा समोये हुये हैं तथा इससे यह भी पता चलता है कि हम राज्य के विकास को क्या दि आ देना चाहते हैं। ज्यों ही विवरण आपके सामने आयेगा यह बात स्पष्ट होती जायेगी कि जहां हमारी विकास गतिविधियों की दि आ बदल रही है या उनमें तबदीली ला दी गई हैं, वहां दूसरे क्षेत्रों में भुरुआत भी हो रही है। हम इसमें किस सीमा तक सफल होते हैं, यह बात कई एक अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारणों पर निर्भर करती है। जहां साधनों की उपलभ्यता हमारे कार्यक्रमों की सीमा को निर्धारित करती हैं वहां बाह्य परिवे आ का महत्व भी कम नहीं है जैसे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्र आसकीय ढांचें की सुदृढता तथा राज्य की जनता का, हमारे सांझे उद्दे यों में पूर्ण वि वास रखते हुए प्रगति के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर होने का संकल्प। इसी कारण मैं पूर्व परिपाटी से थोडा सा हट कर इस सदन का ध्यान पहले सरकार के उद्दे यों और कार्यक्रमों की और दिलाना चाहूंगा और राज्य की कुल वित्तीय स्थिति सम्बंधी चर्चा बाद में करूंगा।

राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति

वर्तमान बजअ कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया हैं इनमें सर्वप्रथम तो यही हे कि केन्द्र में एक नई सरकार के सतारूढ होने के एक वर्ष से कुछ समय के बाद यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और यह भी महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में राष्ट्र की एक नई पंचवर्षीय योजना तैयार हो चुकी है, जिसमें राज्य की नई योजना भी भागमिल है। एक नई योजना राष्ट्र के लोगों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिये दिये गये एक नये एवं स्पष्ट फरमान पर आधारित है। जनता द्वारा ऐसा स्पष्ट और निश्चयात्मक फरमान देने की नितांत आवश्यकता इस कारण भी थी कि इन दिनों को जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वह एक गंभीर चिन्ता का विषय था। मुद्रास्फीति (inflation) नई ऊंचाई को छू चली थी। उत्पादन राष्ट्र की जरूरतों की रफ्तार के मुताबिक बढ़ना बंद हो गया था। उत्पादक प्रयासों में बड़ी भारी हानि हो रही थी और बात बिना बात के लिए आंदोलनों का सहारा लेना एक आम बात थी। वर्ष 1979-80 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन पिछले वर्षों से 4.5% कम हुआ, जबकि 1980-81 में 6.5% की वृद्धि से इस गिरती हुई स्थिति में परिवर्तन की संभावना हुई है। इसी प्रकार वर्ष 1979-80 के दौरान राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय भी पिछले वर्षों से कम हो गई थी, मुद्रास्फीति की दर जून 1980 के अंततक 23% (वार्षिक दर) तक पहुंच गई थी, इसके अतिरिक्त, देश और राज्य दोनों के सामने अन्य बहुत सी मूलभूत समस्याएं विद्यमान हैं। उत्पादन क्षमता, विशेषकर कृषि उत्पादन यथा खाद्यान्न, दालें, तिलहन, कपास, गन्ने एवं निर्मित वस्तुयें यथा

कपडा, स्टील, सीमेंट आदि पर जनसंख्या की अविराम वृद्धि से उत्पन्न बोझ की समस्या भी हैं। जनसंख्या के 2% की वार्षिक वृद्धि के कारण राष्ट्रीय उत्पाद में 2% वार्षिक वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय का स्तर ज्यों का त्यों बना रहता है। इतना ही नहीं, हमारे वृद्धि दर का सामान्य वितरण ऐसा है कि राष्ट्रीय उत्पाद में 2% की वृद्धि के बावजून भी अधिकांश जनता में खुलाहाली की बजाय गरीबी बढ़ती है। इसका कारण यह है कि अधिकतर जनसंख्या अपनी रोजी के लिये पूरी तरह अथवा अधिकांश रूप से जमीन पर ही निर्भर है और हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जो कि बार बार सूखा एवं बाढ़ का सामना करता है, जहां भूमि जोत का निरंतर विभाजन होता जाता है, आवयक कृषि निवेशों का मूल्य बढ़ता जाता है तथा बचत की कमी एवं पूंजी विन्यास व ऋणों के अभाव के कारण उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती और जो भी थोड़ी वृद्धि हो पाती है वह छोटी बड़ी जोतों के मालिकों में असमान अनुपात से बढ़ती है। इस प्रकार हमारी कृषि व्यवस्था में दायमी गरीबी ही नहीं बल्कि निरंतर बढ़ती हुई दरिद्रता के बीज विद्यमान हैं अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अधिक कमाई को बांटने के लिये उपलब्ध प्रणालियां भी एक सीमा तक ही कारगर हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर प्रत्यक्ष कराधान की नीति सम्पत्ति के पुनर्वितरण में किसी सीमा तक ही सफल होती है यदि छोटे और सीमान्त किसान की हालत और भी खराब है। योजना के दस्तावेज से व्यक्त होता है कि वर्ष 1977-78 में राष्ट्र की 48% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रही थी।

हमारे अपने अनुमान के अनुसार वर्ष 1978-79 में हरियाणा की 36% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी।

इतनी गम्भीर समस्याओं पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं है। भायद उसके लिये उठाये जाने वाले पगों के संबंध में भी एक मत होना कठिन है। गरीबी पर काबू पाने के लिये अनिवार्यतः दो मूलभूत बातों की जरूरत है; इनमें पहली यह है कि खपत में आने वाले सामान और सेवाओं में इजाफा किया जाए और दूसरी यह कि सामान और सेवाएं गरीबों को उपलब्ध हों। इस प्रकार हमारे सामने उत्पादन को बढ़ाने और उसका सही प्रकार से पुनर्वितरण सुनिश्चित करने की दोनों आवश्यकताएं हैं। इनमें पहली समस्या के हल के लिये भौतिक और वित्तीय निवेशों को एकत्रित करने की अर्थात् पूंजीविन्यास की आवश्यकता होगी, जिसके वित्तीय भाग की उपलब्धि उत्तरोत्तर बचतों से एवं सभी द्वारा यथासंभव मौजूदा खपत को घटाने पर ही हो सकती हैं। दूसरी समस्या का हल मूल्य नियंत्रण और वितरण पद्धति के कुशल संचालन तथा रोजगार और खासतौर पर स्वयं रोजगार के अवसर जुटाने पर ही हो सकेगा। इसके साथ साथ निर्मित पूंजी को उत्पादन मील काम धंधों में नियोजित करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि इसका कुछ भाग सामाजिक और सामुदायिक कल्याणकारी सेवाओं के लिये निर्धारित किया जाये, भले ही इस प्रकार की सेवाओं के लाभ को नकदी की भावना में आंकना संभव न हो। उपलब्ध पूंजी का पर्याप्त भाग स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं,

अच्छी संचार सुविधाओं, पीने के पानी और सामाजिक कल्याण के लिये अनिवार्य रूप से खर्च करना होगा। समाज के वंचित वर्ग यथा हरिजनों, तपरीवास और विमुक्त जातियों सहित पिछड़े वर्गों, अपाहिजों, बूढ़ों तथा निर्बलों की भलाई के कार्यक्रमों की ओर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति उपलब्ध वित्तीय साधनों के अंदर ही करनी होगी अन्यथा ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि इसके कारण पैदा होने वाली मुद्रास्फीति से विकास का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाये। अन्तिम बात यह है कि हम चाहें जो भी रास्ता अपनाएं और हमारे उद्देश्य चाहे जो भी हों तथा हमारे वित्तीय एवं अन्य प्रतिबंध कुछ भी हों, प्रगति के कार्यक्रमों का, राज्य के लोगों की फौरी इच्छाओं और आकांक्षाओं का दायित्व आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने पिछले मास की 13 व 14 तारीखों को अपनी बैठकों में इन सब बातों पर विस्तार से विचार विमर्श किया और एक मत होकर यह फैसला किया कि नई योजना को क्या दिशा दी जाये। सामान्य जनहित के उद्देश्य की पूर्ति के लिये तथा राष्ट्र एवं अपने नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक तीव्रता एवं योग्यता के साथ कार्यान्वित करें। इस संबंध में दो मत हो सकते हैं कि इतना कुछ काफी है या नहीं, फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि हमने जो कदम उठाये हैं अथवा जो कदम उठाने वाले हैं, वे अत्याधिक हैं। राष्ट्रीय योजना के संबंध में हमारी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद में कहा था कि

“यह योजना अभिवांछनीय एवं संभावना की सीमा के मध्य का श्रेष्ठतम प्रयास है जो संभव है उससे अधिक पाने की चेश्टा से ही हम अपने में निहित सामर्थ्य को चरमसीमा तक पहुंचा सकेंगे।” हमारा विवास है कि हमारी राज्य योजना और कार्यक्रमों के संबंध में भी यही बात ठीक तरह से लागू होती है।

वार्षिक योजना 1980-81

योजना संबंधीयस गतिविधियों के बारे में, वर्ष 1980-81 का आरम्भ 240.50 करोड रूपये के अनुमोदित योजनागत परिव्यय से हुआ। माननीय सदस्यों को यह जान कर हर्ष होगा कि हमने इस परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की है और संशोधित अनुमानों में राज्य योजना का 253.78 करोड रूपये का परिव्यय शामिल हैं स्पष्ट है कि हरियाणा के कार्यकुशल प्रासासन ने विकास गतिविधियों को कार्यान्वित करने में भात प्रतिभात सफलता प्राप्त की। राज्य का योजना परिव्यय और भी अधिक होता। परन्तु खेद है कि हमारे अधिक से अधिक प्रयत्नों के बावजूद और बावजूद इस बात के इस मसले को ऊंचे से ऊंचे स्तरों पर उठाया जाता रहा, फिर भी पंजाब सरकार ने सतलुज यमुना योजक नहर परियोजना पर कार्य आरम्भ नहीं किया। राज्य बजट दस्तावेज के संशोधित अनुमानों में, जिसमें केन्द्रीय सैक्टर और केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना स्कीमें भी शामिल हैं, परन्तु जिसमें बिजली बोर्ड की योजना का भाग और कुछ अन्य स्कीमें शामिल नहीं हैं, 250.72 करोड रूपये का योजनागत व्यय दर्शाया

गया है जबकि 1980-81 के बजट अनुमानों में इस हेतु 230.69 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इन आंकड़ों पर नजर डालते ही पता चल जाता है कि वर्ष के दौरान योजनागत व्यय की रफ्तार में काफी वृद्धि हुई है। कुछ एक महत्वपूर्ण वृद्धियां उल्लेखनीय हैं।

इस बात को सभी जानते हैं कि हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम अन्य कार्यों के साथ साथ, जल मार्गों को पक्का करने के काम में लगी हुई हैं। इन कार्यों पर खर्च होने वाले पूंजी निवे । और उसके ब्याज को पुनः अदायगी के भाग से लाभानुभोगियों को आंशिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया था कि 2.50 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को इस देनदारी से छूट दे दी जाये और 2.50 एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों की देनदारी में 50% की छूट दे दी जाए। (थम्पिंग) तथापि यह सुनिश्चित करने के लिये कि निधि की कमी हो जाने से निगम की गतिविधियों को धक्का न पहुंचे, 7.30 करोड़ रुपये के मूल उपबन्ध के अतिरिक्त निगम को 5.50 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कर दी गई है। राज्य सरकार ने यह बात सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली है कि वह इस खाते में वसूली की कमी को भविष्य में भी पूरा करेगी। यह कदम उठाकर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम अपनी स्कीमों के निष्पादन की रफ्तार न केवल बरकरार रखेगी बल्कि इसमें तीव्रता लायेगी। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिए

अनिवार्य रूप से रोजगार जुटाने के लिये, भारत सरकार की सहायत से चालू वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय देहती रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड रुपये का प्रवधान किया गया है। कई वर्षों से चालू ग्रामीण सडक निर्माण कार्यक्रम में, इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई है संचार व्यवस्था को और सुदृढ बनाने के लिए सरकार ने एक क्रै 1 कार्यक्रम के माध्यम से, प्रत्येक गांव में पक्की सडक पहुंचाने का निर्णय लिया है। (थम्पिंग) यह राज्य की एक महान उपलब्धि होगी। इसी प्रकार राज्य का सडक परिवहन उपक्रम, जिसे दे 1 के ऐसे उपक्रमों में विशेष ख्याति प्राप्त है, में अतिरिक्त सुधार लाने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य परिवहन का योजनागत परिव्यय 7.30 करोड रुपये से बढ़ा कर 9.70 करोड रुपये कर दिया गया था। (थम्पिंग) ताकि विभाग बसों की तादाद बढ़ा सके और विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को ज्यादा सुविधायें प्रदान कर सके। इसके अनुसार देहाती जल सप्लाई स्कीम के लिये, राज्य योजना में जहां पहले 7 करोड रुपये का उपबंध था, वहां अब इस उपबंध को बढ़ा कर 8.65 करोड रुपये कर दिया गया है। (थम्पिंग) यह उपबंध त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (Accelerated Rural Water Supply Programme) के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले 3.20 करोड रुपये के अतिरिक्त होगा। वे लोग जो मेवात क्षेत्र की समस्याओं की विशेष जानकारी रखते हैं और इनके संबंध में सहानुभूति पूर्ण नजरिया रखते हैं, यह जान कर प्रसन्न होंगे कि इस क्षेत्र के सर्वतोमुखी और तीव्र विकास संबंधी सरकार के वायदे के दृष्टिगत, मेवात विकास बोर्ड के लिये 1.25

करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई है (थम्पिंग) जरूरतमंदों को उचित दामोयसं पर अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करने की समस्या का जिक्र मैंने पहले भी किया है। इसे हल करने के विचार से सरकार ने सहकारी खपतकार संघ को वर्ष के दौरान एक करोड रुपये की रकम स्वीकृत की है, ताकि यह सरकार क्षेत्र में खपतकार भण्डारों के जाल को फैला सके। पिछले दिसम्बर के अंत तक 2000 से अधिक आबादी वाले 1355 देहातों में उचित दामों की दुकानें खोली जा चुकी हैं। (थम्पिंग) हमारा आरम्भिक निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक ऐसे गांव में एक दुकान अवश्य खोल दी जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य में जमीन पर आबादी के दबाव के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिये उद्योगों को आधार बनाना जरूरी है, सरकार ने इस क्षेत्र के मूल परिव्यय में 2.72 करोड रुपये की वृद्धि की है। मुझे विश्वास है कि विरोधी मंचों पर बैठे हुये, माननीय सदस्य, यह जानकर प्रसन्न होंगे, कि बिजली दर और उद्योगों के भुल्क के समस्त भार को तर्कसंगत बनाने से संबंधित कार्यवाही वर्ष के दौरान मुकम्मिल हो चुकी है और सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को वर्गीकृत आधार पर बिजली भुल्क से आंशिक राहत स्वीकार करने की स्कीम चालू की है जिसके कारण उद्योग क्षेत्र के परिव्यय में काफी इजाफा हुआ है। सरकार को विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी। और राज्य में ज्यादा खुशहाली आयेगी। साल के मध्य में की जाने वाली प्रमुख

तबदीलियों में से एक महत्वपूर्ण तबदीली यह है कि 'हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' निगम (पीघ ही जिस का नाम बदल कर 'हरियाणा पिछड़े वर्ग निगम कर दिया जायेगा) की स्थापना की गई है। यह निगम पिछड़े वर्ग के सदस्यों को वित्तीय सहायता तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी। इस निगम के लिये एक करोड रुपये का उपबंध किया गया है और उन्होंने कई एक लाभदायक स्कीमें तैयार कर ली हैं। राज्य के योजनागत कुल सं गोधित परिव्यय में हरिजनों के कल्याण के लिये विशेष संघटक योजना (Special Component Plan) की 26 करोड रुपये से अधिक की रकम भामिल है। हरिजनों को आवास बोर्ड की एजेंसी द्वारा सस्ते दामों के मकान मुहैया करने की नई योजना इस वर्ग के लाभ के लिये उपलब्ध स्कीमों के इलावा भुरु की गई है। (थम्पिंग) इसके अतिरिक्त बहुत सी अन्य गतिविधियों का योजनागत परिव्यय बढ़ाया गया है, चाहे वह अपेक्षाकृत थोडा ही क्यों न हो।

आज जनता अथवा गरीब और पद दलित लोगों के स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित सरकार की नीति की प्रमुख दिशा के साथ पूरा न्याय करने के लिये चालू वर्ष के प्रमुख कार्यक्रमों के वित्तीय आबंटनों के परिवर्तनों का उल्लेख कर देना मात्र काफी नहीं होगा। यद्यपि इन आबंटन का विस्तृत ब्यौरा अन्य स्थानों पर दिया गया है और मैं विनिर्देशों के संबंध में बाद में उल्लेख करूंगा। यहां इस बात का जिक्र कर देना अनिवार्य होगा कि

हमारी सरकार ने हमारी पार्टी के आर्थिक कार्यक्रमों को जिसे सामान्यतः 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नाम से पुकारा जाता है, कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और वह आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। उदाहरण के तौर पर उचित दामों की बहुत सी दुकानें खोली गई हैं। राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अन्तर्गत ट्रक चालकों को परमिट जारी किए गये हैं और परमिट भीष्म ही जारी किए जायेंगे। वित्त वर्ष के अंत तक पात्र व्यक्तियों को फालतू भूमि आबंटित करने के लिये हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था की जा रही है और जहां कहीं भी संभव है वहां अनुत्पादक व्ययों में बचत की जा रही है।

योजनेतर व्यय 1980-81

वर्ष 1980-81 के दौरान योजना व्यय के रूप में वर्गीकृत खर्च की मदें ही केवल ऐसी मदें नहीं हैं कि जहां काफी इजाफा किया गया है। योजनेतर वर्गीकरण के अन्तर्गत भी लेखों के लगभग सभी भीषाँ के अन्तर्गत अतिरिक्त निधियों का उपबंध किया गया है। कुछ वृद्धियां सरकार के वेतन संशोधन के निर्णय के फलस्वरूप वेतन और भत्तों की वृद्धि प्रकट करती हैं और कुछ महंगाई के कारण प्रासकीय खर्च को पूरा करने के लिये हुई हैं। ऋण अदायगी के प्रावधानों में भी वृद्धि की गई है जो कि

अधिकां ा रूप में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले अधिक कर्जों द्वारा बराबर हो जाती है। योजनेतर विकास सम्बंधी बहुत सी गतिविधियों के लिये उपबंधों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। ि ाक्षा पर योजनेतर खर्च 11.48 करोड रुपए बढ़ गया हे जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कुरुक्षेत्र वि वविद्यालय को अधिक ग्रांट, प्राइवेट कालेजों के संधारण अनुदान के फार्मूले में सुधार, प्रान्तीयकृत स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में सुधार और ि ाक्षा संस्थाओं का दर्जा बढ़ाने तथा गैर सरकार ि ाक्षा संस्थाओं में ि ाक्षा का स्तर ऊंचा होगा। सहकारिता के क्षेत्र में सरकार से सहकारी समितियों को कर्जों का अन्तकरण 6.12 करोड रुपये बढ़ा दिया गया हे जिसमें से 4.03 करोड रुपया हरियाणा सहकारी सप्लाई और विपणन संघ को दिया गया है ताकि वह किसानों के लाभ के लिए कृशि सम्बंधी अनिवार्य निवे ा खरीद सके और उसका भण्डार कर सके। गन्ना उत्पादकों के हित में राज्य सरकार द्वारा गन्ने का अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य निर्धारित किया जाने के कारण सहकारी चीनी मिलों को कार्य चालन पूंजी का आधार मजबूत बनाने के लिये कर्ज के रूप में 1.59 करोड रुपये की रकम दी गई थी। स्मरण रहे कि गन्ने की चालू फसल के लिये भारत सरकार द्वारा घोशित गन्ने के 13 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतक मूल्य के मुकाबले में राज्य सरकार ने 23 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य की घोशणा पहली ही कर दी थी (थम्पिंग) जिसे हाल ही में बढ़ाकर 26 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है (थम्पिंग) इसी प्रकार हरियाणा डेरी विकास निगम को 50 लाख

रुपए की राशि दी गई थी ताकि वह दुग्ध उत्पादनकर्ताओं को दूध की खरीद का मूल्य समय पर चुकता कर सके। हरियाणा कृषि उद्योग निगम को भी कार्य चालन पूंजी के लिये कर्ज के रूप में 2.16 करोड़ रुपए की रकम दी गई थी ताकि वह अपनी गतिविधियों का क्षेत्र फैला सके। इसी प्रकार हरियाणा राज्य उद्योग विकास निगम को कार्य चालन पूंजी के रूप में प्रयोग करने के लिए 77 लाख रुपए की रकम प्रेषित की गई थी ताकि वह अपनी सहायक यूनिटों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। हमारे किसानों की मुसीबतें पिछले वर्ष अप्रैल से ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण भुरू हो गई थीं। अप्रैल 1980 में ओलावृष्टि के बाद राज्य के एक भाग में बाढ़ और दूसरे भाग में विकट सूखे के दोहरे संकट ने उन्हें लगातार यातनाएं दी हैं तथा इसके बाद अक्टूबर 1980 में और दोबारा हाल ही में ओलावृष्टि से उनकी हालत और भी दयनीय हो गई है। इसके दृष्टिगत इन्हें राहत देने के लिए तकाबी कर्जों की रकम 1.84 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.34 करोड़ रुपये कर देनी पड़ी है तथा इसके अतिरिक्त 10.61 करोड़ रुपये से कई अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की गई है, जिसमें पानी निकालने के लिए 2 करोड़ रुपये नि: शुल्क राहत के लिये 4.86 करोड़ रुपये राहत के लिए आरम्भ किए गए निर्माण कार्यों के लिए 2.50 करोड़ रुपये तथा अन्य मदें यथा चारा और कृषि निवेशकों के लिए सहायतानुदान, मनुश्यों और पशुओं के लिए दवाइयों की सप्लाई शामिल हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य कोश पर 12.45 करोड़ रुपए के खर्च का भार पडा है तथा

इसके अतिरिक्त भूराजस्व, आबियाना तथा तकावी की वसूलियों की मुलतवी और मुआफी के कारण 4.24 करोड रुपए तक के राजस्व की हानि हुई है। फसलों प ़ुधन और गैर सरकारी सम्पत्ति को होने वाली क्षति के मुकाबले तथा लोगों द्वारा सहन किए गए कश्अ को देखते हुए राज्य व्यवस्था पर पडने वाला भार महत्त्वहीन हो जाता है। इस विपत्ति के सम्मुख उनका धैर्य और संकल्प सराहनीय है। पुलिस विभाग के खर्च में भी 4.08 करोड रुपये की वृद्धि हाने पर उसका खर्च 19.20 करोड रुपए हो गया है। इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन और भत्तों की वृद्धि का पर्याप्त भाग भामिल है तथा कुछ सीमा तक महंगाई भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसमें पुलिस चौकियों का दर्जा बढ़ाकर थाना बनाने का खर्च, पुलिस नफरी में वृद्धि और आज के अ तांत काल में प्र ासन के इस महत्वपूर्ण अंक को आधुनिक रूप देने पर किया खर्च भामिल है। कर्ज भार के भुगतान के लिए जो कि मूल रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय पै ागियों के लिए प्राप्त किया गया था, 63.34 करोड रुपए अधिक खर्च करना पडा (यद्यपि यह राशि केन्द्रीय सरकार तथा अन्य साधनों से प्राप्त कर्जों और पै ागियों के रूप में प्राप्त हुई अधिक राशि से पूरी हो जाती है।) इसके फलस्वरूप सामेकित निधियों से योजनेतर कुल खर्च 488.80 करोड रुपए से बढ़कर 601.78 करोड रुपए हो गया है अर्थात् इसमें 112.98 करोड रुपए की वृद्धि हुई है। योजना व्यय जो कि राज्य के 1980-81 के बजट अनुमानों में 1060.33 करोड

रुपये प्रत्याशित था अब 233.17 करोड रुपए की वृद्धि के बाद संशोधित अनुमानों में 1293.50 करोड रुपए हो गया है।

प्राप्तियां 1980-81 व लेखे 1979-80

वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों के अनुसार प्राप्तियां 1046.70 करोड रुपये होने का अनुमान था जिसमें 220.98 करोड रुपए की वृद्धि के बाद यह 1267.68 करोड रुपये तक पहुंच गई। प्राप्तियों में इस सुधार के अतिरिक्त अथ शेष के आंकड़ों में भी सुधार हुआ जो चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय 19.32 करोड (नफी) अनुमानित था जबकि बाद में सुधार के बाद 12.02 करोड रुपए (नफी) रह गया था। इस अतिरिक्त राशि के उपलब्ध होने के कारण योजना एवं योजनेतर दोनों पक्षों में अधिक खर्च संभव हो सका है चालू वर्ष के लेखे में मुख्य सुधार का जिक्र करने से पहले वष 1979-80 के लेनदेन से उभरने वाली स्थिति पर दुःश्लिषात करना उचित होगा। इस तुलनात्मक अध्ययन से इस बात का पता चलेगा कि वर्ष 1979-80 के संशोधित अनुमानों के अनुसार समेकित निधि में कुल 604.41 करोड रुपए की प्राप्ति का अनुमान था जबकि वास्तविक आंकड़ों के अनुसार वसूलियां 622.01 करोड रुपए हुई जिससे 17.60 करोड रुपए के सुधार का पता चलता है। दूसरी ओर समेकित निधि से कुल खर्च 654.46 करोड रुपए होने का अनुमान था जो कम होकर 645.43 करोड रुपए रह गया अर्थात् यह 9.03 करोड रुपए कम हुआ। लोक लेखा अनुभाग में वष 1979-80 के संशोधित अनुमानों के अनुसार निबल उपचय

26.70 करोड रुपए होने का अनुमान था जो घटकर 8.44 करोड रुपए रह गयां समेकित निधि की प्राप्तियों में निम्नलिखित कारणों से सुधार हुआ। आयकर में राज्य का हिस्सा 0.78 करोड रुपए, आबकारी भुल्क की वसूली 2.02 करोड रुपए, बिक्री कर की वसूली 0.62 करोड रुपए, माल और यात्रियों के परिवहन के उदग्रहण से कर की वसूली 0.83 करोड रुपए गन्ने पर खरीद कर 0.96 करोड रुपए बयाज प्राप्तियां 3.34 करोड रुपए और अनेक प्रकार की घटा बढी जिनमें प्रमुख हैं: सहायतानुदान 1.67 करोड रुपए तथा खाद्यान्न की खरीद के लिये भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया ऋण 9.50 करोड रुपए। इस घटा बढी की विस्तृत व्याख्या बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दी गई है।

जहां तक वर्ष 1980-81 का संबंध है अधिक प्राप्तियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, अन्य स्रोतों के साथ साथ निम्नलिखित से हुई हैं। केन्द्रीय करों से अधिक अन्तरण 3.91 करोड रुपए, अधिक सहायतानुदान 1.32 करोड रुपए, भारत सरकार से अधिक ऋण 20.95 करोड रुपए और वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण 2.10 करोड रुपए। इसके विपरीत भारतीय स्टेट बैंक से लिया गया ऋण 30 करोड रुपए घट गया है क्योंकि खाद्यान्न की खरीद राज्य सरकार के खाद्य विभाग के इलावा दूसरी एजेंसियों द्वारा ज्यादा की गई है। चूंकि इन ऋणों की पुनः अदायगी वर्ष के अंदर ही कर दी जानी है। अतः इसका बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य करों में भी आ आ के मुताबिक

वृद्धि आई है तथा जलवायु एवं आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने और राजस्व वसूली के बड़े पैमाने पर मुआफ और मुलतवी कर दिए जाने के बावजूद इनकी वसूली में कुल मिलाकर 20.37 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक अंश यात्रियों और माल के कर की अधिक वसूली का परिणाम है (3.21 करोड़ रुपए) जो कि यात्रि किरायों में 25% वृद्धि कर देने के कारण हुई है करों की अधिक वसूलियां, कर संबंधी कानूनों को सुचारु रूप से तथा दृढता से लागू करने का परिणाम है कर भिन्न राजस्व के अत्यंत महत्वपूर्ण वृद्धि, हरियाणा राज्य परिवहन के राजस्व में हुई है। (5.35 करोड़ रुपए) जो मुख्यत यात्रि किराए में वृद्धि तथा बेहतर प्रशासन के कारण है लेकिन परिचालन की अधिक लागत और महंगाई के कारण यह वृद्धि लगभग समाप्त हो गई है क्योंकि हरियाणा राज्य परिवहन का खर्च भी 5.18 करोड़ रुपये बढ़ गया है। हमारे वर्ष 1980-81 के वित्त संबंधी लेनदेनों के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन और बजट प्रस्तुत करने के बाद दी गई महंगाई भत्ते की चार किस्तों के प्रभाव के इलावा योजना व्यय में अत्यधिक वृद्धि और वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्यकोश को होने वाली 16.69 करोड़ रुपए की गिरावट के बावजूद भी वर्ष के अंत तक का घाटा उस घाटे से कम रहेगा जो बजट अनुमानों में प्रत्याशित था।

छठी योजना 1980-85

मैंने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) का पहले भी जिक्र किया है। इसे हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है। कुल राष्ट्रीय योजना 172210 करोड़ रुपये की निश्चित हुई है। इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल योजना 50250 करोड़ रुपये की है। इस रकम में हरियाणा की पंचवर्षीय योजना 1800 करोड़ रुपये है जो कि राज्यों और संघीय क्षेत्रों की योजना का लगभग 3.5% है। जब इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि हमारा राज्य भारतीय संघ की कुल आबादी का केवल 2% से कुछ कम है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा में प्रति व्यक्ति परिव्यय देश के प्रति व्यक्ति परिव्यय से अधिक है और कुल राज्यों के दृष्टिकोण से हरियाणा की छठी पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय से तिगुनी है। परन्तु इस उपलब्धि का वास्तविक महत्व न तो प्रति व्यक्ति परिव्यय के आंकड़ों में निहित है और न ही पिछली योजना की अपेक्षा इसके बड़ा होने पर निम्नर करता है। वस्तुतः असली महत्व का इस बात से पता चलता है कि योजना आयोग और भारत सरकार ने इस बात को माना है कि हमारे राज्य के लोग तीव्र विकास के योग्य हैं और इसके पात्र भी हैं और योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि राज्य सरकार भी विकास को सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। यहां कुछ परिव्ययों और कार्यक्रमों का संक्षिप्त देना संगत रहेगा।

अर्थ व्यवस्था को निर्दिष्ट करने वाले क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि कृषि एवं सहकारिता के संबंधित क्षेत्रों के लिए 284.57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कि कुल योजना का 15.8 प्रतिशत है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना में यह 9.6% था। इसी प्रकार छठी योजना में जल एवं बिजली विकास के लिए 1021.25 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। जबकि पांचवी योजना में इसके मुकाबले में 369.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। छठी योजना में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 277.47 करोड़ रुपए का प्रावधान है जबकि पांचवी योजना में इसके लिए 76.88 करोड़ रुपया रखा गया था। इससे चार गुना वृद्धि का पता चलता है। छठी योजना में परिवहन और संचार के लिए 169.50 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना में 49.61 करोड़ रुपए का उपबंध था तथा उद्योग एवं खनिज के लिये पांचवी योजना में 12.71 करोड़ रुपये से बढ़ाकर छठी योजना में 30.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। इस तरह हरियाणा में छठी योजना का प्रति व्यक्ति निवेश 1343.28 रुपए है जबकि इसके मुकाबले में पांचवीं योजना का प्रति व्यक्ति निवेश 509.62 रुपए था।

छठी योजना के परिचयों से पता चलता है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में अधिक से अधिक वृद्धि लाना है। अतः जल एवं बिजली साधनों के विकास कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों,

परिवहन एवं संचार तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए अधिक से अधिक उपबंध किया गया है। इसके साथ साथ पिछड़े वर्गों, पिछड़े क्षेत्रों और हरिजनों के उत्थान के लिए विभिन्न श्रेणियों में तैयार की गई हैं। (गोर)

इस योजना के कुछ एक प्रमुख निम्नलिखित इस प्रकार होंगे : 1984-85 तक अनाजों का उत्पादन 50.32 लाख टन से 80 लाख टन बढ़ाना, गन्ने का (गुड़ के रूप में) 3.95 लाख टन से 9 लाख टन बढ़ाना, तिलहन 0.72 लाख टन से 1.80 लाख टन और कपास 5.28 लाख गांठों से 7.70 लाख गांठें। (थम्पिंग) बिजली पैदा करने की क्षमता 1077 मैगावाट से बढ़ाकर 1648 मैगावाट और सिंचाई क्षमता 17.69 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 19.20 लाख हैक्टेयर करना तथा प्रयोग 16.30 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 17.96 लाख हैक्टेयर करने का हमारा इरादा है छठी योजना में 1.27 लाख लोगों के लिए सीधे और निरन्तर रोजगार के साधन जुटाए जाएंगे तथा निर्माण कार्यों पर 6.71 लाख व्यक्ति वर्ष का रोजगार उपलब्ध होगा।

वर्तमान बजट अनुमान छठी पंचवर्षीय योजना तैयार होने के बाद राज्य सरकार का पहली बजट है यद्यपि वर्ष 1981-82 इस योजना का दूसरा साल है। वह योजना जिन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में तैयार हुई है, उन पर प्रकाश डाल लेने के बाद तथा साधनों एवं अन्य कठिनाइयों के दृष्टिगत जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसे कार्यान्वित किया जाना है यह

उचित होगा कि हम अगले वर्ष के सारे कार्यक्रमों को प्रत्येक मद पर अलग अलग से दृष्टिपात करें।

वर्ष 1981-82 के कार्यक्रम

बजट अनुमानों से कुल 1408.19 करोड रुपये के व्यय का पता चलता है जिसमें योजना व्यय के 285.04 करोड रुपये तथा समेकित निधि में से योजनेतर व्यय के 636.05 करोड रुपये और लोक लेखा अनुभाग से 487.10 करोड रुपये का खर्च भामिल है। योजना व्यय के निर्दिष्ट आंकड़ों में राज्य योजना स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्र के स्कीमों का खर्च भामिल है। फिर भी इन आंकड़ों से राज्य का कुल योजना व्यय लक्षित नहीं होता क्योंकि इसमें बिजली बोर्ड का योजना व्यय भामिल नहीं है जो कि वह अपने साधनों से खर्च करेगा। इसी प्रकार इस योजना व्यय में स्वायत्त निकायों के उन अनेक कार्यक्रमों का खर्च भी भामिल नहीं है, जो वे पूरी तरह से सीधे बाह्य साधनों से करेंगे। राज्य का अनुमोदित योजना परिव्यय 290 करोड रुपये है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना 30.10 करोड रुपये हैं।

वर्ष 1981-82 के कुल 290 करोड रुपये के योजनागत परिव्यय में से कृषि तथा इससे संबंधित सेवाओं के लिये 53.82 करोड रुपये, पानी और बिजली विकास के लिये 157.46 करोड रुपये, उद्योग और खनिजों के लिये 5.79 करोड रुपये परिवहन और संचार के लिये 26.57 करोड रुपये और सामाजिक एवं

सामुदायिक सेवाओं के लिये 42.96 करोड रुपये का उपबंध किया गया है इन परिध्ययों से पता चलता है कि इनमें वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है और इनसे इस बात का भी पता चलता है कि सरकार बहुत ऊंचा वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये कटिबद्ध है। इस अवसर पर मैं माननीय सदस्यों को 1981-82 की वार्षिक योजना की मोटी मोटी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें ही बताना चाहूंगा।

वर्ष 1981-82 के दौरान सिंचाई की बड़ी और माध्यमिक स्कीमों को चलाने के लिये 59.50 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। इसमें 6 करोड रुपये का वह खर्च भी शामिल है जो पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर पर खर्च किया जाना प्रस्तावित है और सरकार इस बात के लिये निरन्तर प्रयत्न गील है कि यह कार्य पंजाब के क्षेत्र में आरम्भ हो जाये। सिंचाई के लिये जल का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये वर्तमान जलमार्गों को पक्का करने का काम जारी रहेगा और इस कार्य के लिये वि. व. बैंक की सहायता से चलने वाले प्रोजैक्ट के पहले चरण के भीघ्र ही मुकम्मिल हो जाने की सम्भावना है। इसके मुकम्मिल होने पर लगभग 25 करोड वर्ग फुट जलमार्ग पक्का हो जायेगा जिसके फलस्वरूप 1500 क्यूसिक जल व्यर्थ होने से बच जायेगा। जलमार्गों को पक्का करने एवं अन्य विकास कार्यों के लिए लगभग 400 करोड रुपये की एक द्वितीय परियोजना

वि व बैंक की सहायता से आरमी की जानी विचाराधीन है।
(Thumping)

कृषि क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण निवे । अर्थात् जल की सप्लाई को सुनिश्चित करने के साथ साथ हम कृषि एवं उद्योग दोनों के लिए दूसरे अनिवार्य निवे । अर्थात् बिजली की पर्याप्त सप्लाई के लिये भी प्रयत्न मिल हैं। बिजली की वर्तमान उपलभ्यता को बढ़ाने के लिये छोटी और लम्बी अवधि वाली दोनों प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं। इस उद्देश्य के लिये 1981-82 की वार्षिक योजना में 80.46 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का उपबंध किया गया है। छोटी अवधि में बिजली की उपलभ्यता को बढ़ाने के लिये अन्य साधनों के साथ साथ कुछ साधन हैं। फरीदाबाद थर्मल विस्तार इकाई-III, पानीपत थर्मल परियोजना चरण-II और चरण-III तथा पश्चिमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना चरण-1। राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्न मिल है कि उसे यमुनागर थर्मल बिजली परियोजना के लिये भीघ ही अनुमति मिल जाये, जिससे कि 800 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा। (Thumping) इसी प्रकार नाथपा झाकरी पर बिजली परियोजना को जिस पर 534 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी और जिससे लगभग 1020 मैगावाट बिजली पैदा होगी। हाल ही में हुये समझौते के अनुसार केन्द्रीय सरकार की सहायता से त्रिपक्षीय आधार पर भुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं चालू वर्ष में राज्य की सभी हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का काम तत्परता के साथ किया जा रहा है और सरकार को आता है कि

जून 1981 के अंत तक ऐसी सभी बस्तियों की गलियों में बिजली मुहैया कर दी जायेगी। मार्च 1985 के अंत तक सभी देहातों की गलियों में बिजली मुहैया करने का एक अन्य कार्यक्रम चालू किया गया है। (Thumping)

15.00 बजे।

पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है क्योंकि क्षेत्र की प्रत्येक इकाई के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इससे पता चलता है कि सिंचाई विस्तार, बढिया बीजों, उर्वरकों, ऋण तथा अन्य निवेशों की सुनिश्चित सप्लाई संबंधी हमारी मूल नीति पूरी तरह सफल रही हैं वर्ष 1981-82 के दौरान भी इसी नीति का अनुसरण किया जायेगा और इस उद्देश्य के लिये बिजली और सिंचाई संबंधी मुख्य एवं माध्यमिक स्कीमों के प्रावधान के अतिरिक्त 47.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था केवल कृषि क्षेत्र के लिए कर दी गई है। कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवा की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में की गई प्रगति का इस बात से पता चलता है कि पिछले कई वर्षों के दौरान लगातार मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद उत्पादन के स्तर को किसी प्रकार का गहरा धक्का नहीं लगा है। हमें आशा है कि हम वर्ष 1981-82 के दौरान अपने पैदावार के निष्पाने को पूरा कर लेंगे जो इस प्रकार है: खाद्यान्न 68.20 लाख टन, कपास 6.80 लाख गांठें, गन्ना (गुड़ के रूप में) 7 लाख टन और तिलहन 1.55 लाख टन। यह निष्पाना गहन और विस्तृत का तंत्र के द्वारा और

क्षेत्र की प्रत्येक इकाई की उपज बढ़ा कर पूरा किया जायेगा। समय पर इनपुट सप्लाई करने की ओर ध्यान दिया जायेगा तथा पौधों की रक्षा करने के काम पर बल दिया जायेगा जैसे कि इस वर्ष किया गया जबकि धान और गेहूं में हानिकारण खरपतवार की रोकथाम के लिए 1.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई थी। मंडी में आने वाले अधिक बिक्री के माल का ठीक प्रकार से प्रयोग करने के विचार से 1981-82 के अंत तक व्यवस्थित मंडियों की संख्या 88 से बढ़ाकर 92 कर दी जायेगी। फसलों के बीमे की स्कीम चालू करने का सरकार का विचार है जिसका उद्देश्य यह होगा कि वह असहाय किसानों की प्रकृति के प्रकोप से बचा सके। देहातों के समेकित विकास का कार्यक्रम जो कि हमारे गरीबी हटाने के कार्यक्रम का प्रमुख साधन है। राज्य के सभी ब्लकों में चालू कर दिया गया है और ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1981-82 के दौरान 6 लाख रुपये प्रति ब्लॉक खर्च करके प्रत्येक ब्लॉक के कम से कम 600 परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा। (थम्पिंग) इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में चालू वर्ष के प्रावधान की अपेक्षा एक लाख रुपये प्रति ब्लॉक अधिक प्रावधान किया गया है। इनमें से दो तिहाई लाभानुभोगी हरिजन होंगे।

मिश्रित खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के विचार से पशुपालन, मछली पाल और डेयरी विकास के निमित्त 3.05 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपबंध किया गया है। पशु चिकित्सा

सहायता में सुधार करने के विचार से वष 1981-82 में 50 प ु डिस्पेंसरियां खोली जायेंगी तथा 25 डिस्पेंसरियों एवं स्टाकमैन केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें प ु हस्पताल एवं प्रजनन केंद्र बनाया जायेगा। यह कार्य इस साल खोली जानी सम्भावित 50 प ु डिस्पेंसरियों और 50 डिस्पेंसरियों एवं स्टाकमैन केन्द्रों को प ु हस्पतालों में तबदील किये जाने के काम के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त प ुओं की बीमारियों को समूल नशअ करने का कार्यक्रम भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में 1981-82 के दौरान प ुपालन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के लिये 10.20 लाख रुपये का उपबंध किया गया है। इस उपबंध में 4 नई प ु डिस्पेंसरियां खोलने का, 4 डिस्पेंसरियों एवं स्टाकमैन केन्द्रों को प ु हस्पतालों में बदलने का, 8 नये स्टाकमैन केन्द्र स्थापित करने का और बछडा पालन, मुर्गीपालन और सुअर पालन आदि का कार्यक्रम शामिल है।

सहकारी संस्थाओं ने किसानों को ऋण सुविधायें जुटाने, खेती की उपज के विक्रय में सहायता देने, सहकारी भंडारों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने, फालतू दूध के लाभकारी प्रयोगों, कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के कामों में प्रमुख भूमिका निभाई है। और वर्ष 1981-82 के दौरान इन काम धंधों के लिए 6.28 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। कृषि उत्पादन को बेचने और प्रोसेस करने की सुविधायें जुटाने के लिए हरियाणा राज्य सहाकरी सप्लाई एवं बिक्री संघ ने

डींग में कपास प्रोसैसिंग कम्पलैक्स की स्थापना करने के बाद 4 नए राइस भौलर लगाने की योजना बनाई है।

सार्वजनिक वितरण पद्धति अनिवार्य उपभोग्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा इसे और विस्तृत एवं सुदृढ किया गया है ताकि वह ज्यादा से ज्यादा जनता विशेष कर देहातों में रहने वाली जनता को लाभ पहुंचा सके जिससे उन्हें बढ़ती हुई कीमतों से काफी हद राहत मिले। पहले जिक्र किया जा चुका है कि सरकार 2000 या इससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में उचित दामों की दुकानें खोलने जा रही है और इस उद्देश्य के लिये हरियाणा राज्य सहकारी खपतकार संघ को 1981-82 के दौरान 1.40 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। सरकार एक ऐसी मीनरी को मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रही है जो अनिवार्य वस्तुओं को लगातार 5213 उचित दामों की दुकानों के बाध्यम से उपलब्ध करा सके। काले बाजार और जमाखोरों की हरकतों का मुकाबला करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दो उद्देश्यों से आरम्भ किया गया है एक है रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करना और दूसरा है भीघ्र देहाती आर्थिक पुर्नव्यवस्था के लिए ग्रामीण आधार भूत संरचना खडी करना। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 1981-82 की योजना में 3.18 करोड़ रुपये का उपबंध किया है और इसके लिए भारत सरकार से 3 करोड़ रुपये का 25 हजार

मीट्रिक टन अनाज और सामान की खरीद के लिये 1.50 करोड रुपया मिलने की संभावना है। सरकार गांव के स्तर की संस्थाओं को पोशित करना चाहती है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत को पंचायत घरों के निर्माण के लिए 20 हजार रुपये तक सहायता देने का प्रस्ताव है जहां कि ग्राम पंचायतें दिन प्रतिदिन की बैठकें कर सकती हैं। जमीन की लागत तथा अन्य खर्च का भार पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

भौगोलिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाये रखना तथा उपजाऊ एवं कृषि योग्य भूमि की आर रेत के फ़ैलाव को रोकना भी नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 1981-82 की वार्षिक योजना में 3.50 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है ताकि राज्य में भू संरक्षण संबंधी कार्यवाही, वन साधनों में सुधार और जंगली जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके। इस अवधि के दौरान वृक्ष लगाने के कार्यक्रम में 10680 हैक्टेयर भूमि पर तथा 11850 पंक्ति किलोमीटर पर वृक्ष लगाने का कार्यक्रम लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त खेतों पर वन लगाने की स्कीम के अन्तर्गत 74.5 लाख पोधे और तीव्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक लाख पोधे उगाये जायेंगे तथा फार्म की जमीनों पर लगे जायेंगे। प्रत्येक जिले में दो ब्लॉकों में प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक वृक्ष का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जायेगा।

ये सभी स्कीमों में श्रम साध्य हैं और इनसे कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मुहैया होगा।

राज्य सरकार इस बात की आशा रखती है कि राज्य में उद्योग विकास के लिये और विशेषतः ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के लिए बिजली की दृष्टि से उपलब्धता के साथ साथ जो अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही हैं उनसे चालू वित्त वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1981-82 में औद्योगिक उत्पादन की दर कहीं ऊंची होनी संभव होगी। इस वृद्धि को संभव बनाने के उद्देश्य से अगले वर्ष की योजना में 5.79 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। मेवात क्षेत्र में तीन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार इस बात को समझती है कि अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए बेहतर औद्योगिक अनुशासन और मजदूरों के विवादों के सम्बंध में मध्यस्थता और निर्णय के लिए कुशल और समानता की नीति का अनुसरण करने की जरूरत है हमें आशा है कि राज्य के अंदर औद्योगिक संबंधों में जैसे कि इस वर्ष नियंत्रण से सुधार हुआ है वैसे ही वर्ष 1981-82 के दौरान भी ये संबंध केवल ऐसे ही नहीं बल्कि इससे अधिक बेहतर होंगे। हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि उद्योगों के लिए प्रशिक्षित एवं हुनरमंद व्यक्ति उपलब्ध किये जायें और इस उद्देश्य से मेवात क्षेत्र में तीन उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र चालू किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन

सरकार विभिन्न व्यवसायों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करने की स्कीम बड़े उत्साह के साथ चला रही है।

सड़कें विकास की धमनियां हैं वर्य 1981-82 की वार्षिक योजना में 15 करोड रुपए की व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों की संचार व्यवस्था को सुदृढ करना है। आगामी वर्ष के अंत तक ही मैदानों में 250 और पहाडी क्षेत्रों में 150 से कम की आबादी तक के लगभग सभी गांवों को लिंग सड़कों से लाभन्वित किया जा सकेगा।

सड़क संचार व्यवस्था में सुधार होने पर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जाल फैलाने की मांग को हरियाणा राज्य परिवहन के कार्य संचालन में इजाफा कर के पूरा किया जायेगा और राज्य परिवहन अपने बेडे में 200 नई बसों की वृद्धि के बाद अपनी पिछली विंशत कार गुजारी में चार चांद लगाने में सफल होगा। इस वृद्धि के बाद 1981-82 के अंत तक हरियाणा राज्य परिवहन के बेडे की कुल संख्या 2800 तक पहुंच जायेगी। वर्ष के दौरान 9 आधुनिक बस अड्डे तथा 100 बस प्रतीक्षालय बनाने का काम आरम्भ किया जायेगा। इन सब काम धंधों के निमित्त 1981-82 के लिए 10 करोड रुपए का उपबंध कर दिया गया है।

हरियाणा पर्यटक विभाग और निगम का 1.25 करोड रुपए का योजना आबंटन है वे इस आबंटन से अपनी ऊंचे स्तर की कार्य कुशलता और दक्षता को न केवल बनाए रखते हुए

बल्कि उसमें और सुधार लाते हुए पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए समान रूप से सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं।

हमारा भविष्य हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर निर्भर करता है। अतः सामान्य शिक्षा, कला और संस्कृति के लिये 9.90 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा के लिए 52 लाख रुपए के योजनागत परिव्यय का उपबंध किया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से हमने इस वर्ष प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाया तथा गैर सरकारी स्कूलों एवं कालेजों को सरकारी व्यवस्था में लिया। 1981-82 के दौरान भी इस कार्यक्रम पर बल दिया जाता रहेगा। गैर सरकारी महाविद्यालयों के प्रबंधकों तथा स्टाफ की एक लंबे अरसे से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने आगामी वर्ष से इन संस्थाओं के वर्तमान 75 प्रति शत घाटे के स्थान पर 95 प्रति शत घाटा पूरा करने के लिये अनुदान देने का निर्णय किया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत को समझते हुए, चालू वित्त वर्ष के दौरान सभी भौक्षणिक ब्लॉकों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम चालू कर दिया गया था। हरियाणा राज्य यौग्यता छात्रवृत्ति की स्कीम के लिए माता पिता की वार्षिक आय की सीमा को 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। हम अपने नौजवानों में नेतृत्व के गुण और अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए खेलों के महत्व को

भी मान्यता प्रदान करते हैं चालू वित्त वर्ष से एक स्पोर्ट्स होस्टल जारी हो चुका है और इस विभाग के लिए योजनागत परिव्यय में 60 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वे अपने कार्यक्रम काचे जारी रख सकें। अधिक कोचिंग सुविधायें प्रदान करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और विशेषकर देहाती एवं पिछले क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विस्तार के लिए अत्यधिक प्रयत्न किये हैं और वर्ष 1980-81 के दौरान सात नये सहायक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तथा सोहना, पलवल, जगाधरी और चौटाला में हस्पतालों के नये भवनों को चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोलने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है तथा भिवानी के सिविल हस्पताल में आयुर्वेदिक विंग की स्थापना की गई है। आबादी वृद्धि की ऊंची दर से राज्य की अर्थ व्यवस्था की वृद्धि दर कहीं बेकार न हो जाये। इसलिये राज्य सरकार राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक लागू कर रही है और उद्दे यह है कि जन्म दर को मार्च 1983 तक 30 प्रति हजार तक लाया जा सके। इन उद्दे यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद के लिये 7.50 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है हम निवारक स्वास्थ्य सेवा को भी उचित महत्व दे रहे हैं और हमारी कोशिशें हैं कि परिस्थितियां ऐसी पैदा की जाएं कि राज्य में बीमारी की

सम्भावना कम रहे। इसके दृष्टिगत जल सप्लाई और खास तौर पर ग्रामीण जल सप्लाई तथा मल निकास की स्कीमों को प्राथमिकता दी जा रही है। 1981-82 में राज्य के 210 गांवों को जल सप्लाई की सुविधा प्रदान के करने के लिए 9.70 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अतिरिक्त देहाती क्षेत्र में पेय जल सुविधा प्रदान करने की केन्द्र चालित स्कीमों भी होंगी। राज्य की जल सप्लाई परियोजनाओं के लिए वि व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। राज्य सरकार भाहरी जल सप्लाई और मल निकास स्कीमों पर भी वर्ष 1981-82 के दौरान 2.27 करोड रुपया खर्च करने का विचार रखती है।

सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर आवास सुविधायें जुटाने के लिए गम्भीरता से सोच रही है। आवास बोर्ड अपने कार्यक्षेत्र को बढाने का विचार कर रहा है तथा इस वर्ष मुहैया किये जाने वाले सम्भावित 4000 मकानों के अतिरिक्त यह वर्ष 1981-82 के अंत तक 5000 नये मकान मुहैया करने की आशा करता है और इसके इलावा पांच हजार मकानों के निम्नण का कार्य का आरम्भ करने का विचार रखता है। इनमें से 75 प्रतिशत मकान समाज के कमजोर वर्ग के लिए होंगे। हम इस बात के प्रति जागरूक हैं कि लोगों को, आज खास तौर से देहाती लोगों को सस्ते मकान मुहैया किए जाएं तथा इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 5.60 करोड रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

गरीब लोगों की रिहायश वाली झुग्गी झोंपड़ियों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य की कुछ भाहरी नई कालोनियों में ऐसे निवासियों को एक कमरे वाले मकानों के लिये छोटे प्लॉट दिलवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जुलाई 1981 में सूर्यग्रहण आ रहा है और कुरुक्षेत्र नगर को इस अवसर के निमित्त तैयार करने के लिए तथा ब्रह्मसरोवर के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ताकि यात्रियों को सुविधा रहे, राज्य सरकार ने इस वर्ष कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 67 लाख रुपये का सहायतनुदान दिया है।

सरकार बेरोजगारी की समस्या को जो कि अधिकतर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अभिगाप बनी हुई है। हल करने के लिए वचनबद्ध है। कुल रजिस्ट्रेशन के मुकाबले नौकरी प्राप्त करने वालों की संख्या 16.4 प्रतिशत थी जबकि अखिल भारतीय प्रतिशतता 9.4 रही। देहाती नौजवानों को अधिक नौकरियां दिलाने के लिए राज्य के 6 और स्थानों पर रजिस्ट्रेशन सुविधायें मुहैया की गई हैं। सभी अनुसूचित रोजगारों में अकुशल मजदूरों की मजदूरी की दर बढ़ाकर 253.50 रुपये मासिक कर दी गई है।

हरियाणा सरकार हरिजनों, तपरीवास और विमुक्त जातियों सहित पिछड़े वर्गों के उत्थान को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य में 26 मान्यता प्राप्त तपरीवासियों और विमुक्त जातियों में से 11 जातियां पहले से ही अनुसूचित जातियों में हैं और 6 जातियां पिछड़े वर्गों की घोषित की हुई हैं। भाग 9

अर्थात् तगों, बादियों, बनजारों, मल्लाहों, तारगीरों, हेडियों, भाटों, धीवरों और मीनाओं को पिछडे वर्गों में घोशित करने का प्रस्ताव है पिछडे वर्गों के निगम और हरिजन कल्याण निगम को प्रदान की गई निधियों में से 30 लाख रुपया विशेषतया तपरीवास और विमुक्त जातियों के लाभ की योजनाओं पर खर्च करने के लिये नियत करने का सुझाव है और उचित परिवीक्षण पद्धति के माध्यम से यह सुनिश्चित कर लिये जाने का विचार है कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायकता प्राप्त हो रही हैं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाला सबसे अधिक अकेला समुदाय सामान्यतः हरिजन जातियों में से है। इस समुदाय के पिछडेपन को दूर करने के लिए विशेष महत्व को महसूस करते हुए सरकार ने हरिजनों के विकास के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार किये हैं जिनका मुख्य उद्देश्य यह है कि इस समय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हरिजन परिवारों में से 50 प्रतिशत परिवारों को छठी योजना की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना के कुल 290 करोड रुपये के परिव्यय में से हरिजन कल्याण की विशेष स्कीमों के लिये 35.57 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान 1.80 करोड रुपये के उपबंध से लडके लडकियों के होस्टल और महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोलने, हरिजन बस्तियों के परिवेश में सुधार लाने तथा हरिजन बस्तियों को पीने का पानी सप्लाई करने और पशु खरीदने के लिए सहायतनुदान देने आदि

की नई स्कीमें चालू की जाएंगी। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा 10000 परिवारों को वर्ष 1981-82 के दौरान अपना उपक्रम चालू करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है और राज्य सरकार इस निगम की हिस्सा पूंजी के लिये 50 लाख रुपया प्रदान करेगी। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 1981-82 से हरिजन लडकों को छात्रवृत्ति देने के लिये आमदनी की सीमा 4200 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष कर दी जाये।
(थम्पिंग)

निराश्रित स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों, निर्बलों तथा अपाहिज लोगों के कल्याण के लिये बहुत सी स्कीमें तैयार करके अमल में लाई गई हैं। इन स्कीमों के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और पोषण कार्यक्रम के लिये 80 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का उपबंध किया गया है। वर्ष 1981-82 के दौरान गहन शिक्षा विकास के तीन नये प्रोजैक्ट चालू करना प्रस्तावित है जबकि इस वर्ष इसी प्रकार के दो प्रोजैक्ट आरम्भ किये गये थे। यद्यपि विकलांग लोग कभी भी हमारे ध्यान से ओझल नहीं हुए तथापि वर्ष 1981 वि व विकलांग व्यक्ति वर्ष घोषित किया गया है। अतः इस वर्ष भारीरिक दृष्टि से विकलांग लोग हमारे विशेष ध्यान और अपनी वित्तीय एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। राज्य भर के विकलांग लोगों का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है जिससे उनकी समस्या का अनुमान लग सकेगा और

मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति भी गठित कर दी गई हैं। राई में नेत्रहीन लड़कियों के लिये भवन का निष्पन्न आरम्भ करके वि. व. विकलांग व्यक्ति वर्षा का उदघाटन 2 जनवरी 1981 को किया गया। इसके इलावा सरकारी नौकरी में कुछ रिक्त स्थान नेत्रहीनों और विकलांग लोगों के लिये आरक्षित कर दिये गये हैं। विभिन्न रैडक्रास समितियों की सहायता से रोहतक में मंदतमना बच्चों के लिए और राई में नेत्रहीन लड़कियों के लिये सदन तथा पानीपत में नेत्रहीन लड़कों के लिये इंजीनियरिंग सामान का प्रशिक्षण केन्द्र और अम्बाला में आंगिक रूप से विकलांग लोगों के लिये नई परियोजनाएँ चालू की जा चुकी हैं। (थम्पिंग) जिनके लिये भारत सरकार से काफी सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

सरकार सम्पत्ति के समान वितरण की समस्या की ओर जागरूक है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राज्य के सरप्लस क्षेत्र को मुजारों और भूमिहीन मजदूरों आदि पात्र व्यक्तियों में बांटा जा रहा है। हमें आशा है कि राज्य की सारी सरप्लस भूमि मार्च 1981 के अंत तक बांट दी जायेगी।

चौधरी गंगा राम: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

Mr. Speaker: Under what rule ?

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, हाउस के अंदर एक सी0आई0डी0 आफिसर खडा हुआ है और मुझे घूर घूर कर देख

रहा है। यह डी०एस०पी०, सी०आई०डी० हैं आप चाहें तो इंकवायरी करवा सकते हैं। (गोर)

Mr. Speaker: There can not be any policeman in the House. If there is anybody in the House by mistake, he must not be here. मुझे बताया गया है कि हाउस के अंदर कोई पुलिस आफिसर नहीं है।

चौधरी गंगा राम: आप इंकवायरी करवा सकते हैं। अभी भाग कर गया है। डी०एस०पी०, सी०आई०डी० को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे लिये यह पार्टिकुलरली आया है। He knows me. यह डी०एस०पी० ऊपर सामने खडा हुआ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मेरे विरुद्ध यहां पर कोई साजि रची जा रही है। हो सकता है कि मुझे सदन से बाहर निकलने पर गिरफ्तार किया जाये। पुलिस का कोई भी आदमी हाउस के अंदर होना ठीक नहीं है।

Mr. Speaker: All right. Please sit down. It has been brought to my notice.

आवाजें: यह इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है कि इसे गिरफ्तार किया जाये।

चौधरी गंगा राम: अगर इम्पोर्टेंट नहीं होते तो

..

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड न किया जाये। वित्त मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें।

चौधरी खुर गीद अहमद: मेवात विकास बोर्ड के कार्यक्रमों का मैंने पहले भी जिक्र किया था। कृषि, पशुपालन, औद्योगिक प्रविक्षण, वन, मत्स्यपालन और सिंचाई विभागों की विकास स्कीमों के अतिरिक्त उद्योग विभाग इस इलाके में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश पर 15 प्रतिशत सहायतानुदान देता है तथा बीज राशि और ऋणों का प्रबंध करवाता है। सरकार इस क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों की रफ्तार बनाये रखना चाहती है और इस उद्देश्य से अगले वर्ष की योजना में दो करोड़ रुपये का उपबंध किया है ताकि यह इलाका जल्दी ही राज्य के अन्य इलाकों के बराबर आ सके।

राज्य सरकार व्यापार और उद्योग की आवश्यकताओं और जरूरतों के प्रति जागृत रही है। बिक्री कर प्रक्रिया एवं संरचना का अध्ययन करने और इसे तर्कसंगत बनाने के लिये गठित की गई कर संरचना पुनरीक्षण समिति ने बहुत सी मांगों और सुझावों पर विचार किया है तथा सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित भी किया है यद्यपि समिति की आखिरी रिपोर्ट आनी है। रक्षा कार्मिकों, निर्माताओं और दूसरों को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं।

पिछले पैरों से पता चलता है कि वर्ष 1981-82 के दौरान योजना उपबंध वर्ष 1980-81 के 253.78 करोड रुपये के प्रावधान की अपेक्षा 36.22 करोड रुपये अधिक हैं लेकिन वर्ष 1981-82 में योजनेतर राजस्व खर्च वर्ष 1980-81 के सं गोधित अनुमानों में इस मद के लिये किये गये उपबंध से 70 लाख रुपये कम हैं। वर्ष 1980-81 के सं गोधित अनुमानों में योजनेतर राजस्व खर्च के लिये 331.41 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। इस कमी का कारण यह है कि चालू वर्ष के दौरान सं गोधि अनुमानों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन सं गोधन के कारण देय बकायों की अदायगी के लिये काफी उपबंध करना पडा। वर्ष 1981-82 के दौरान अधिकां ा मुख्य भीषाँ के अंतर्गत अधिक खर्च का उपबंध केवल प्रसासकीय खर्च और वेतनमानों आदि में होने वाली सामान्य वृद्धि के कारण किया गया है। योजनेतर राजस्व खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि केवल परिवहन विभाग के उपबंधों में (5.77 करोड रुपये) हुई है जो बसों की संख्या में वृद्धि और महंगाई के कारण परिवहन सेवा के परिचालन व्यय में वृद्धि के कारण हुई है। सिंचाई विभाग के उपबंध में की गई वृद्धि (5.41 करोड रुपये) प्रति प्रवि ट (कान्टरा ऐन्टरी) के रूप में हुई है क्योंकि अधिक पूंजी निवे ा के कारण राजस्व पर लगने वाला अधिक ब्याज राज्य सरकार की आय में गिना जाता है। ि ाक्षा में 2.80 करोड रुपयो के अधिक उपबंध से पता चलता है कि सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की आव यक मांगों की पूर्ति के लिए कितनी आतुर है। राज्य सरकार के ब्याज की अदायगियां भी 2.54 करोड

रुपये बढ़ गई हैं। फिर भी कई एक मुख्य भीषणों के अन्तर्गत योजनेतर राजस्व खर्च कम कर दिया गया है और इनमें से सबसे अधिक उल्लेखनीय है प्राकृतिक प्रकोप के कारण राहत के खर्च का उपबंध जो 9.14 करोड़ रुपये कम किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार को अधिक रकम का उपबंध इसलिये करना पड़ा ताकि वह प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित किसानों को सहायता प्रदान कर सके, जबकि वर्ष 1981-82 के दौरान सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस मद के लिये 1.47 करोड़ रुपये का ही उपबंध किया गया है और हमें आशा है कि इस वर्ष से प्रकृति हमारे ऊपर कृपा करेगी। वर्ष 1981-82 के बजट अनुमानों में सामुदायिक विकास के खर्च के उपबंधों में 11.67 करोड़ रुपये की कमी हो गई है क्योंकि राष्ट्रीय देहाती रोजगार का कार्यक्रम योजनेतर पक्ष से योजना पक्ष को आन्तरित कर दिया गया है।

वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 518.24 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है जबकि वर्ष 1980-81 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इसके 459.07 करोड़ रुपये होने की संभावना है और वर्ष 1979-80 में यह 402.12 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार प्राप्तियों में वर्ष 1980-81 की अपेक्षा 12.89 प्रतिशत वृद्धि हुई है। केन्द्रीय करों में हिस्सा 5.72 करोड़ रुपये बढ़ा जबकि राज्य करों में और नौन टैक्स राजस्व में क्रमशः 35.85 करोड़ रुपये और 3.93 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। राज्य के करों में सबसे अधिक उल्लेखनीय

वृद्धि 15.90 करोड रुपये बिक्री कर में है जो कि वर्ष 1981-82 के दौरान कृषि और औद्योगिक उत्पादन में सुधार होने के कारण तथा बेहतर व्यवस्था के कारण है। इस वर्ष बसों के किराये में हुई वृद्धि के कारण यात्री और सामान के करों की प्राप्तियां 5.64 करोड रुपये अधिक होगी। बिजली भुल्क से भी वर्ष 1981-82 के दौरान 4.39 करोड रुपये अधिक वसूली होने की संभावना है क्योंकि बिजली बोर्ड को आता है कि अगले वर्ष ज्यादा बिजली पैदा होगी और इसकी बिक्री भी ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त बिजली की दरों में संशोधन भी हुआ है। वर्ष 1981-82 के दौरान भूराजस्व, टिकट और रजिस्ट्री, राज्य आबकारी और वाहन करों की वसूलियां भी वर्ष 1980-81 की प्रत्याशित वसूलियां से क्रमशः 1.64 करोड रुपये, 1.57 करोड रुपये, 4.00 करोड रुपये और 1.24 करोड रुपये अधिक होंगी। वर्ष 1981-82 में नौन टैक्स राजस्व में भी 23.93 करोड की वृद्धि का पता चलता है। इसके मुख्य रूप से ब्याज की 12.35 करोड रुपये की प्रत्याशित अधिक प्राप्तियों के कारण हैं।

निवल बजट लेन देन

अब तक खर्च और प्राप्तियों की हुई चर्चा के परिणामस्वरूप बजट अनुमानों की स्थिति उभर कर सामने आती है :-

(रुपये करोड़ों में)

संघटक	बजट अनुमान 1980-81	संशोधित अनुमान 1980-81	बजट अनुमान 1981-82
अथ भोश	(-) 19.32	(-)12.02	(-)37.84
राजस्व लेखे:			
प्राप्तियां	433.33	459.07	518.24
खर्च	365.39	410.05	434.35
अधिशेष	(+)67.94	(+)49.02	(+)83.89
घाटा	-	-	-
पूँजीगत व्यय			
निवल	99.67	105.87	119.06
लोक ऋण			

लिया गया ऋण	230.36	316.43	335.06
पुनः अदायगी	193.21	256.55	296.08
निवल	(+)37.15	(+)59.88	(+)38.96
कर्ज और पे ागियां	61.22	80.02	71.60
पे ागियां	13.45	11.96	24.75
वसूलियां	(-)47.77	(-)68.06	(-)46.85
निवल			
अन्तर्राज्यीय भुगतान			
आकस्मिक निधि		(+)1.07	
निवल			
अनिधिक ऋण (निवल)	(+) 14.95	(+)22.00	(+)17.03
जमा और पे ागियां (निवल)	(+)13.78	(+)15.14	(+)0.80

प्रेषण (निरवल)		(+)1.00	(+)0.80
वर्ष का इति ेश	(-)32.94	(-)37.84	(-)49.20

इससे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष 37.84 करोड रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा। पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये अनुमानों के साथ तुलना करने से पता चलता है कि चालू वर्ष का इति ेश प्रत्यािात इति ेश से बहुत कम है। वर्ष 1980-81 के बजट अनुमान करते समय यह अनुमान था कि यह वर्ष 32.94 करोड रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा और जिसके वेतन आयोग की सिफारि ों पर किए गए खर्च के कारण लगभग 15 करोड रुपये तक बढ़ जाने की संभावना थी। इस प्रकार वर्ष 1980-81 के अंत में कुल 47.94 करोड रुपये के घाटे की संभावना थी। (ेम भोम) तथापि वर्ष के दौरान सरकार ने योजनागत परिव्यय में 13.28 करोड रुपये की वृद्धि की और प्राकृतिक आपदाओं का िाकार होने वाले लोगों को राहत मुर्हया करने पर 10.98 करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय किया तथा वेतन आयोग की सिफारि ों लागू करने के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की चार किस्तें भी दी, जिन पर 11.28 करोड रुपया खर्च हुआ और बावजूद इस बात के कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्राप्तियां भी कम हुई हैं। वर्ष अपेक्षाकृत कम घाटे से

समाप्त हो रहा है। इसका कारण यह है कि प्राप्तियों में वृद्धि हुई है और कर वसूली की दिशा में राज्य सरकार की कारगुजारी बेहतर रही।

नफ़ी 37.84 करोड़ रुपये के अथोश को लेखों में शामिल करने के बाद वर्ष 1981-82 के अंत में नफ़ी 49.29 करोड़ रुपये का इतिथोश होगा। (नेम भोम) इस वर्ष के लेन देन खाते में 11.45 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस पर विचार करते हुए हमें यह बात नहीं भुलानी चाहिये कि हमने योजनेतर राजस्व खर्च में पर्याप्त कमी कर दी है और इतिथोश की वृद्धि का कारण यह है कि वर्ष 1981-82 के योजनागत परिव्ययों में वृद्धि हुई है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण वास्तविक संवृद्धि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य थी।

उपसंहार

हमने अपने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन और महंगाई भत्ते की वृद्धि के रूप में उन्हें दी गई उदार और वित्तीय दृष्टिकोण से पर्याप्त राहत के बारे में विचार किया है। भविष्य में रिटायर होने वालों को और मौजूदा पेंशनरों के सेवा निवृत्ति लाभों में पर्याप्त सुधार कर दिया गया है। सभी पेंशनरों के पेंशन पाने वाले कर्मचारी वर्ग ने हमारी पेंशन भर्तों की प्रशंसा की है। मैं प्रत्येक वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को विवास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार वर्तमान कठिन

परिस्थितियों में उनकी हालत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखेगी। इसके परिणामस्वरूप मैं इस असवर पर महंगाई भत्ते की एक और किस्त की घोषणा करता हूँ। (थम्पिंग) जो कि अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक के 376 बिन्दु पर पहुंचने के फलस्वरूप 1 सितम्बर 1980 से देय हुई है। इस किस्त की 28 फरवरी 1981 तक की राशि उनकी भविष्य निधियों के खातों में जमा करके अदा की जायेगी और इसके बाद नकदी के रूप में दी जायेगी। अपने साधनों और कर्मचारियों के उत्पादन के दृष्टिगत हम भविष्य में भी इसी प्रकार की उदार नीति के अनुसरण का विचार रखते हैं। तथापि यह मानना होगा कि प्रशासन चलाने का मूल उद्देश्य राज्य का विकास करना है और लोगों को ऐसे आवश्यक तत्व जुटाना है जो कि उनकी आर्थिक व्यवस्था को खुलाहाल बनायें और उनके जीवन में सम्पन्नता लाएं और यह करदाताओं को अपनी राशि से ही किया जाता है। सरकार का दृढ़ विचार है कि लोगों के प्रति उसका यह कर्तव्य है कि वह उन्हें ऐसा प्रशासन दें जो कि कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक कार्यकुशल हो। चूंकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही इस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि वह स्वयं भी इस नीति को पूर्ण रूप से अपनायें। हम उनसे अधिक से अधिक काम की आशा रखते हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि हम कर्मचारियों की संख्या को कम से कम करके तथा स्टाफ के नार्म में संशोधन करके वेतन आदि पर होने वाले व्यय को लगभग 10 प्रतिशत घटा दें। हमारा यह इरादा नहीं है कि हम उन लोगों को नौकरी से

हटाये जो कि अब नौकरी में हैं बल्कि हमारा विचार है कि हम युक्ति युक्त तरीके से इस बात का निरीक्षण करें कि स्टाफ की कितनी आवयकता है और इस बीच में नई भर्ती पर मौजूदा प्रतिबंध को दृढतापूर्वक लागू करें। इसमें सफल होने पर हमें आता है कि खर्च के मौजूदा स्तर में 12 करोड रुपये की बचत हो सकेगी।

यही बात सामान्य रूप से प्रशासकीय खर्च के संबंध में भी सही होगी। हमारा ख्याल है कि हम अनुत्पादक प्रशासकीय खर्च की विभिन्न मदों वस्तु सूची का स्तर, उसके प्रयोग एवं निपटान के संबंध में चालू मानों और परिपाटियों का उचित ढंग से पुनरीक्षण करें ताकि यथासम्भव बचत हो पाये। हमारी सफलता का कुछ हद तक अंदाजा हमारे योजनेतर खर्च की वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन से लग सकता है जो कि मैं पहले पे 1 कर चुका हूं। हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे इस तरह 1981-82 में 3 करोड रुपये की बचत सम्भव हो सकेगी।

सार्वजनिक उपक्रमों की धूमिल कारगुजारी के बारे में दे 1 के सभी भागों में चिन्ता हो रही है। सारा राष्ट्र इस बात पर एकमत है कि उनकी इस गिरती हुई हालत को संभाला जाये और जहां तक संभव हो सके प्रशासन के आधुनिक तरीकों को प्रयोग करके उनकी लागत दक्षता में सुधार लाया जाये, जिजसे वह आत्मनिर्भर हो सके जैसा कि और जगहों पर भी हुआ है, यहां भी राज्य बिजली बोर्ड के आधारभूत साधनों में निरन्तर गिरावट

आयी हैं। यद्यपि इसने लाइन की हानियों को कम करके तथा कार्यकुशलता बनाये रख कर सराहनीय काम किया है लेकिन बढ़ती हुई कीमतें, कृषि क्षेत्र के लिये निर्धारित रियायती दरों, पन तथा ताप बिजली के संमिश्रण का प्रतिकूल अनुपात तथा देहाती क्षेत्र में बिजली बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिये बहुत विस्तृत लाइनों का जाल कुछ ऐसे कारण हैं जिससे बोर्ड को लगातार नुकसान हुआ है। हम बहुत भीघ ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने जास रहे हैं जो कि इन समस्याओं को अध्ययन करें ताकि कार्य संचालन के उन्नत तरीकों को प्रयोग में लाकर हर प्रकार से संभव बचत की जा सके। इसमें जो कुछ भी सुधार लाया जा सकेगा, उससे राज्य के बजट को राहत मिलेगी क्योंकि उसका बोर्ड को ऋण देने का दायित्व कम हो जायेगा। इसी प्रकार हम राज्य के अन्य प्रमुख उपक्रमों यथा हरियाणा राज्य परिवहन के कार्य संचालन एवं विस्तृत कार्य क्षेत्र के फलस्वरूप ट्रेफिक घनत्व की न्यूनता के होते हुए भी उन की वित्तीय कारगुजारी में सुधार लाया जा सके। हमारा लक्ष्य यह होगा कि हम इन तरीकों से कुल पांच करोड रुपये की लागत दक्षता प्राप्त कर सकें

यद्यपि वर्ष 1981-82 में लोगों को अतिरिक्त करों के भार से हम मुक्त रखना चाहते हैं लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हम विकास की रफ्तार को तेज करने में तभी सफल हो सकते हैं जबकि हम उद्देय के लिये अनिवार्य वित्तीय साधनों को जुटा लें। नहीं तो पूरे न किये गये घाटे से मुद्रास्फीति को बल मिलने की

संभावना के कारण विकास का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। हमारा विश्वास है कि लोगों के पास इस बात के लिये काफी गुंजाइश है कि वे सरकार के पूर्व निर्दिष्ट प्रयत्नों में अपना भी योगदान बचत की पहल से विद्यमान विभिन्न आकर्षक स्कीमों में खुल दिल से पैसे जमा करवा कर दें। लम्बी अवधि के "बचत सर्टीफिकेटों" तथा डाकखानों के बचत बैंकों और "पेरोल" बचत स्कीमों जिनसे जनता भलीभांति परिचित है, के इलावा व्यक्तिगत निवेशकर्ता के लिये "ग्रामीण ऋण पत्र" स्कीम भी है, जिस पर 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज मिलता है और यह दस साल में परिपक्व होती है इसके इलावा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की नियताबधिक जमा स्कीम है जिसका ब्याज वाणिज्यिक बैंकों के समान है। राज्य की लगभग 2500 करोड़ रुपये की आय पर केवल आधे प्रतिशत की अतिरिक्त बचत से 12 करोड़ रुपये से अधिक की रकम प्राप्त हो सकेगी। यदि इसे दूसरे ढंग से देखें तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति की बचत से यह वसूली संभव हो सकेगी। जहाँ कुछ ऐसे परिवार भी होंगे जो कि थोड़े से प्रयत्न से महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। इसमें अपनी बचत की आदत को सुदृढ बनाना होगा। प्रत्येक सामुदायिक विकास ब्लॉक से कम से कम 10 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन प्रधान कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण स्वेच्छा के आधार पर, यह लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

16.00 बजे।

प्रस्तावित उपाय यानि स्टाफ में कमी, सरकारी विभागों और प्रमुख उपक्रमों में बचत कार्यक्रम और प्रस्तावित बचत अभियान वर्ष 1981-82 के अंत के घाटे के लगभग 30 करोड़ रुपये को पूरा करेंगे। भोश घाटा यदि पूरी तरह से नहीं तो काफी सीमा तक उस केन्द्रीय कानून के बनने के बाद पूरा हो सकेगा जिससे कनसाइनमेंट टैक्स लगेगा। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि फरीदाबादी, बहादुरगढ़, जगाधरी आदि प्रमुख औद्योगिक नगरों से प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये का उत्पादित माल मनसाइनमेंट के रूप में राज्य से बाहर जाता है जिस पर वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य की किसी बिक्री कर की आय नहीं होती। यह महत्वपूर्ण विशय पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भी विस्तार से चर्चा हुई थी। हमें आवासन प्राप्त हुआ है कि केन्द्रीय सरकार भीघ ही इस संबंध में कानून बनाने जा रही है जिससे कि ऐसा कर स्थानांतरित माल पर लगाना सम्भव होगा। इससे होने वाली आय तथा प्राप्तियों में अन्य वृद्धियां, जिसकी पूर्ण संरचना है, से भोश घाटा आसानी से पूरा हो जायेगा।

अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहूंगा कि इस राज्य के लागे इस सदन में बैठे हुये हम लोग जो कि उन के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और वास्तव में एक मामूली मजदूर से लेकर एक बडे से बडे कार्यकर्ता तक सभी लोग जो कि इस राज्य से किसी प्रकार का संबंध रखते हैं, नये वित्त वर्ष के आरम्भ में प्रगति और खुहाली तथा समानता एवं

कल्याण के क्षितिज करे विस्तृत करने के संकल्प के प्रति सामूहिक समर्पण की भावना रखेंगे।

अब मेरे लिये वित्त विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों, महालेखापाल, हरियाणा और उसके सहयोगियों तथा चण्डीगढ़ प्रशासन के मुद्रणालय के प्रति आभार प्रकट करना ही भोश रह गया है कि उन्होंने इतने थोड़े समय में बजट तैयार करने में हमें बहुमूल्य सहायता प्रदान की है।

श्रीमान, मैं इन भावों के साथ सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ 1981-82 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जय हिन्द!

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम ने प्वाएंट उठाया था कि कोई पुलिस वाला उन्हें देख रहा था। वह मैंने चैक किया है। कोई भी पुलिस वाला नहीं था।

The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

***16.05 बजे।**

The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 17th March, 1981.)